द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखर्ड प्रोजेक्ट

अहमदाबाद, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ

पुनर्गठन विकास निगम

वी.

महेश और अन्य

(सिविल अपील सं। 6673-6674 2021 का)

10 नवंबर, 2021

[ए. एम. खानविलकर और संजीव खन्ना, जे. जे.]

एसएस। 25 और 24 (1) (ए) एस की व्याख्या। 24 (1) (क) उस अवधि का निर्धारण जिसके भीतर पुरस्कार दिया जाना है - एस। 111894 के अधिनियम और धाराओं का ए। 25 2013 के अधिनियम में सीमा की दो अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई है-यदि एस के संदर्भ में पुरस्कार देने के लिए दो साल की अवधि है। 111894 के अधिनियम का ए यू/एस द्वारा दिए गए पुरस्कारों पर लागू होता है। 24 (1) (क), इससे व्यावहारिक विसंगतियां और विसंगतियां हो सकती हैं -

यह सहेजे गए अधिग्रहण के संबंध में पुरस्कार देने के लिए समय निर्धारित करने के पीछे के विधायी इरादे को कम करेगा।

निरस्त 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाहियां-इसलिए संसद के अंतर्निहित इरादे को प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए, यू/एस के तहत एक पुरस्कार पारित करने/बनाने की सीमा। 24 (1) (a) s के संदर्भ में होगा। 25 , जो 01.01.2014 से शुरू होगा, यानी उस तारीख से जब 2013 का अधिनियम लागू हुआ-पुरस्कार यू/एस द्वारा पारित किए गए। 24 (1) (क) वैध होगा यदि बारह महीने के भीतर किया जाता है

01.01.2014 , इस चेतावनी के अधीन कि एक घोषणा जिसमें

एस के संदर्भ में लैप्स। 111894 के अधिनियम के ए को पहले या उस पर पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा-इस प्रकार, विधायी इरादे के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर पहुंचने के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है-तर्कसंगत दृष्टिकोण ताकि एस. एस. के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। 24 और 26 से 30 की आवश्यकता है-तथ्यों पर, का प्रकाशन

भूमि अधिग्रहण यू/एस के लिए घोषणा। 6 1894 के अधिनियम के अनुसार, 2013 का अधिनियम लागू हुआ और 1894 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। 24 (1) (क) उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय को चुनौती देने वाली भूमि मालिकों की लिखित याचिकाओं ने अधिनिर्णय को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि

एस के संदर्भ में कार्यवाही समाप्त हो गई थी। 11 एक पुरस्कार होना चाहिए

घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर पारित किया गया था-इससे पहले कि 08.08.14; और यह कि कथित रूप से 30.10.14 पर दिया गया पुरस्कार कथित रूप से दिनांकित 30.08.2014 था, किसी भी मामले में विधिवत 20.03.2015 की विस्तारित तिथि को या उससे पहले किया गया था-79 दिनों की अवधि जब उच्च न्यायालय ने दिनांकित 19.03.2014 की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी थी, जब तक कि नई अधिसूचना दिनांकित 13.08.2014 जारी नहीं की गई थी-इस प्रकार, पुरस्कार कानूनी और वैध है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से अलग कर दिया गया है।

एसएस। 25 , 24 (1) (ए) और 30-क्षतिपूर्ति यू/एस। 24 (1) (अ)

का निर्धारण-समझाया गया।

एस. 24 (1) (क) और 25-शब्द "से संबंधित सभी प्रावधान

एस में मुआवजे का निर्धारण। 24 (1) (क)-अर्थ-आयोजितः इसे एस में निर्दिष्ट सीमा की अवधि को शामिल करते हुए पढ़ा जाएगा।

25 2013 के अधिनियम-शब्द 'सभी' और 's' में उपयोग किए जाने से संबंधित अभिव्यक्ति। 25 2013 के अधिनियम का व्यापक अर्थ दिया जाना है -

विधायी इरादे-शब्दों और वाक्यांशों को फँसाएँ।

एस. 24 (1) संविधान पीठ के निर्णय की व्याख्या

इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में कहा गया कि 2013 का अधिनियम संभावित रूप से काम करता है, और वह है। 114 2013 के अधिनियम के अनुसार कुछ बचतों को निरस्त किया जा सकता है। 24 – इस प्रकार, अधिग्रहण की कार्यवाही को 1894 के अधिनियम के तहत पुरस्कार देने के चरण तक संरक्षित किया जाता है-जहां कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, संबंधित प्रावधान 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए लागू होगा; जहां पुरस्कार दिया जाता है, वहां 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही जारी रहेगी जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है।

एस. 24 (2) – व्याख्या-इंदौर के विकास में निर्णय

प्राधिकरण के मामले में कहा गया है कि जहां अधिग्रहण के लिए कार्यवाही 1894 के अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, लेकिन यू/एस के तहत कोई पुरस्कार नहीं था। 11 1894 के अधिनियम में से 2013 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे

मुआवजे के निर्धारण तक सीमित

लेकिन जहाँ एक

पुरस्कार 1894 के अधिनियम के तहत दिए गए थे। 24 (1) (ख) पक्षकारों के निहित अधिकारों की रक्षा करता है 2013 अधिनियम उच्चतर प्रावधान करता है

पुनर्वास के प्रावधानों के साथ मुआवजा, जो होना चाहिए

दूर नहीं किया जाना चाहिए-इसके अलावा, एस में निहित प्रावधानों को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। 24 चूँकि यह न्यायालय के लिए कानून बनाने के लिए नहीं है-न्यायालय उचित मामलों में, विधानों में अस्पष्टता को स्पष्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं।

द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894: एस। 11 ए-दो साल की अवधि जिसके भीतर यू/एस पुरस्कार दिया जाना है। 11 ए-निरसन के बाद भी आवेदन

– आयोजित किया गयाः एस। 11 ए के लिए यू/एस पुरस्कार की आवश्यकता होती है। 11 घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए और यदि कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी-वह अवधि जिसके दौरान कोई कार्रवाई या कार्यवाही की जानी है।

घोषणा के अनुसार लिया गया निर्णय अदालत के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया है जिसे दो साल की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना है।

सीमाः सीमितता के क़ानून-आयोजित की प्रकृतिः है।

आम तौर पर प्रक्रियात्मक माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करना है।

अधिकार लेकिन अवधि निर्धारित करें जिसके भीतर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए

अधिकारों के प्रवर्तन के लिए स्थापित किया जाना चाहिए या निर्णय आदेश पारित किए जाने चाहिए-सीमा के क़ानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव होता है

जैसा कि वे लागू होने के बाद लाई गई सभी कानूनी कार्यवाही पर लागू होते हैं-हालाँकि, सीमा से संबंधित कानूनों को संभावित माना गया है क्योंकि उनके पास कार्रवाई के अधिकार को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं है जो उनके आने की तारीख से पहले से ही वर्जित है।

संचालन, और न ही उनके पास एक अधिकार को समाप्त करने का प्रभाव है

तिथि पर मौजूद कार्रवाई-इस प्रकार, जब तक कि भाषा

सीमा अवधि से संबंधित प्रावधान स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ से, एक विपरीत इरादे को प्रकट करता है।

निहित अधिकारों का विनिवेश करते हुए, इस तरह के प्रावधान का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए

संभावित।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897: एस। 6- निरसन का प्रभाव-चर्चा की गई।

विधियों की व्याख्याः विधियों का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग-इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में संविधान पीठ का निर्णय

पूर्वव्यापीता की उस सीमा को पकड़ना भी इस पर निर्भर करेगा कि

पक्षकारों के लिए अनुचितता की डिग्री-अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति

सीमित शब्दों का उपयोग पूर्वव्यापी संचालन को इंगित करने के लिए एक आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सही धारणा के विपरीत होगा।

हालांकि, पूर्वव्यापीता के पक्ष में अनुमान तब आवश्यक हो सकता है जब आम तौर पर उस क़ानून के संदर्भ में अलग-अलग निहितार्थ उत्पन्न होते हैं जो पिछले क़ानून को निरस्त करता है, और एक 'कमी' छोड़ देगा यदि नए क़ानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में नहीं माना जाता है-क़ानून जो इसके प्रत्यक्ष संचालन में संभावित है, उसे इस रूप में नहीं कहा जा सकता है

पूर्वव्यापी क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा समय पूर्व से इसके पारित होने तक खींचा जाता है-इसके अलावा, व्याख्या के लिए, एक ऐसा निर्माण जिसके परिणामस्वरूप अनुचित रूप से कठोर और बेतुका होता है।

परिणाम से बचना चाहिए।

21] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 25

2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत प्रकाशित। धारा 25 के संदर्भ में धारा 24 (1) (ए) के तहत पुरस्कार पारित करने/देने की सीमा अवधि 1 जनवरी 2014 से शुरू होगी। अर्थात्, वह तिथि जब 2013 का अधिनियम लागू हुआ। अवधि जिसके दौरान न्यायालय का आदेश की ओर से कार्रवाई को बाधित करेगा

2013 के अधिनियम की धारा 25 के तहत अवधि की गणना करते समय पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ने वाले अधिकारियों को बाहर रखा जाएगा। तदनुसार, 26 मई 2014 से 79 दिनों की अवधि, जब उच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2014 की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी थी, 13 अगस्त 2014 की नई अधिसूचना जारी होने तक, को बाहर रखा जाना चाहिए। यह पुरस्कार कथित रूप से 30 अक्टूबर 2014 को दिया गया था, जो किसी भी मामले में 20 मार्च 2015 की विस्तारित तिथि को या उससे पहले दिया गया था। अतः संबंधित पुरस्कार वैध है। महाराष्ट्र राज्य हेरफेर के संबंध में आरोप के संबंध में जांच कर सकता है और

विषय पुरस्कार को वापस लेने और ऐसी उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जो आवश्यक हो और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हों। विवादित निर्णय ने पुरस्कार को दरकिनार कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अधिग्रहण की कार्यवाही थी

लैप्स को अलग रखा जाता है। अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई थी और पुरस्कार कानूनी और वैध है। [पारस 40,41] [1160-जी; 1161-ए-ई]

2.1 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11 ए के लिए आवश्यक है

कि धारा 11 के तहत एक पुरस्कार घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस अवधि के दौरान घोषणा के अनुसार की जाने वाली किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर अदालत के आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है, उसे दो साल की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना है। [पैरा 5] [1140-जी-एच]

2.2 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 सामान्य कानून के इस सिद्धांत पर रोक लगाती है कि निरसन के बाद एक अधिनियम

अप्रभावी मानो यह कभी अस्तित्व में नहीं था, सिवाय अतीत और बंद मामलों के।

धारा 6 एक सामान्य अस्थायी प्रावधान है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द परियोजना, अहमदाबाद, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास निगम v. महेश

व्यापक और व्यापक रूप से शब्दबद्ध खंड (ए) से (ई)। खंड ((ख) धारा 6 की धारा (ग) और (ङ) में विशेष रूप से कहा गया है कि निरस्तीकरण, निरस्तीकरण के तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करता है।

निहितार्थ। इसके अलावा, निरसन का दायरा निरसन अधिनियम द्वारा परिकल्पित सीमा से अधिक व्यापक नहीं हो सकता है। इसलिए, एक व्यापक निरसन सीमित हो सकता है यदि निरसन अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से यह कहता है कि यह कुछ मामलों पर लागू नहीं होगा। [पैरा 7] [1143-ए-डी] 2.3 2013 के अधिनियम की धारा 114 1894 के अधिनियम को निरस्त करती है, जो प्रवर्तन की तारीख से प्रभावी और लागू नहीं होता है

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 2013 के अधिनियम द्वारा "अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा" के अधीन है। दूसरे शब्दों में, जब यह 2013 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आदेशित या अनिवार्य है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को कानूनी प्रभाव नहीं दिया जाना है। [पैरा 8] [1143-ई-एफ] 2.4 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) एक अबाधित खंड है। यह प्रावधान को ओवरराइडिंग दर्जा प्रदान करता है।

अन्य प्रावधानों पर। तदनुसार, 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) के संदर्भ में, 2013 अधिनियम की धारा 114 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) द्वारा बाधित सीमा तक लागू नहीं होगी। इसका कारण यह है कि एस। 114 2013 अधिनियम की धारा 6 की प्रयोज्यता को स्वीकार करते हुए सामान्य खंड अधिनियम, इसके आवेदन को "[2021] 9 एस. सी. आर. के रूप में बचाने" के अधीन बनाता है।

2013 के अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, एस। 6 सामान्य खंड अधिनियम में ही कहा गया है कि सामान्य बचत लागू नहीं होगी

जब विधायी आशय विपरीत हो। [पैरा 9] [1143-एफ-एच]

1894 के अधिनियम के अनुसारः ((i) जहां कोई पुरस्कार दिया गया है और (ii) जहां कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। धारा 24 (1) के खंड (बी) के अनुसार जहां 1894 अधिनियम की धारा 11 के तहत एक अधिनिर्णय दिया गया है, वहां निरसित 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रहेगी, इसके निरसन के बावजूद। ऐसे मामलों में 2013 का अधिनियम लागू नहीं होगा। खंड (बी) से एस। 24 (1) यह वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि 31 दिसंबर 2013 को या उससे पहले कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। [पैरा 10] [1144-ए-सी] 2.6 तत्काल मामले में, 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) का खंड (ए) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने पर लागू होगा।

1894 के अधिनियम के तहत 1894 के अधिनियम के निरस्त होने तक एक पुरस्कार में समाप्त नहीं हुआ था। धारा 24 (1) (ए) सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत बचत के कानूनी प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द कर देती है क्योंकि यह संकरण करती है।

1894 अधिनियम और 2013 अधिनियम का अनुप्रयोग। घोषणाओं को जारी करके अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता को बनाए रखते हुए

1894 के अधिनियम के तहत, यह कहा गया है कि इसके लिए सभी प्रावधान

2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण लागू होगा। यह धारा सचेत रूप से 1894 अधिनियम की धारा 4 और/या धारा 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं के कानूनी प्रभाव को बचाती है और 2013 अधिनियम के तहत एक नई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता को दूर करती है। धारा के तहत दिए गए पुरस्कारों के लिए मुआवजे की गणना के लिए यह 'निर्धारण तिथि की दृढ़ता'

24 (1) (क) 2013 के अधिनियम का एक विचार विधायी आह्वान के माध्यम से है जो समय की देरी और बुनियादी ढांचे की लागत वृद्धि को कम करता है।

परियोजनाएँ, साथ ही अधिग्रहण के बाद अधिसूचना कदाचार की जांच करती हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित करती हैं कि भूमि मालिक 2013 के अधिनियम के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे के लाभ के हकदार हैं। [पैरा 11] [1144-सी-एफ]

2.7 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए और 2013 के अधिनियम की धारा 25 प्रतिकूल के साथ सीमा की दो अलग-अलग अवधि निर्धारित करती है।

परिणाम, जैसे कि पुरस्कार प्राप्त करने में विफलता पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास निगम v. महेश

कार्यवाही समाप्त हो जाती है। चुनाव 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए और धाराओं के बीच है। 25 2013 का अधिनियम। सटीक शब्दों या अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति घोषणा भाषा के साथ-साथ खंड (ए) से खंड (एस) के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प की व्याख्या और प्रयोग करने से नहीं रोकेगी। 24 (1) . दूसरे शब्दों में, के अंतर्निहित इरादे को प्रभाव और अर्थ दिया जाना है

संसद "संबंधित सभी प्रावधान" शब्दों में 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए। [पैरा 15] [1146-बी-डी]

विस्तार से बताने के लिए, धारा 24 (1) (ए) में प्रयुक्त 'सभी' शब्द और 'संबंधित' अभिव्यक्ति को विधायी इरादे को फंसाने के लिए एक व्यापक अर्थ दिया जाना आवश्यक है। व्याख्या में इस प्रवृत्ति को देखते हुए, शब्द "इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से संबंधित मुआवजे के निर्धारण को केवल मुआवजे की गणना पर पर्याप्त प्रावधानों, यानी 2013 अधिनियम की धारा 26 से 30, से संबंधित शब्द की सीमित समझ नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, अभिव्यक्ति को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि मुआवजे की गणना के लिए सीमा अवधि, यानी 2013 अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान शामिल किया जा सके। [पैरा 16] [1146-डी-एफ]

राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास का प्रतिनिधित्व इसके सचिव बनाम. अब्दुल अज़ीज़ साहिब और अन्य। आकाशवाणी 1968
मद्रास 79; नवीन केमिकल्स एम. एफ. जी. और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर (1993) 4 एस. सी. सी. 320: [1993]

2 पूरक। एससीआर 326; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। अमित गुप्ता और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 194; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और एक और (1984) 4 एससीसी 679: [1985] 1 एस. सी. आर. 432; मनसुखलाल धनराज जैन और अन्य बनाम। एकनाथ विठ्ठल ओगले (1995) 2 एस. सी. सी. 665: [1995] 1 एससीआर 996; एम/एस। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य

(1988) 2 एससीसी 299: [1988] 2 एससीआर 962; एच. एच.

महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया

ग्वालियर के बहादुर आदि। भारत संघ और ए. एन. आर. (1971)

1 एससीसी 85: [1971] 3 एस. सी. आर. 9-संदर्भित।

2.9 सीमा कानून को आम तौर पर प्रक्रियात्मक माना जाता है।

क्योंकि इसका उद्देश्य कोई अधिकार बनाना नहीं है, बल्कि उन अवधियों को निर्धारित करना है जिनके भीतर अधिकारों के प्रवर्तन या निर्णय आदेशों को पारित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। के क़ानून

इसलिए, सीमा का पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे लागू होने के बाद लाई गई सभी कानूनी कार्यवाही पर लागू होते हैं। हालाँकि, सीमा से संबंधित कानूनों को इस अर्थ में संभावित माना गया है कि उनके पास कार्रवाई के अधिकार को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं है जो उनके लागू होने की तारीख से पहले से ही वर्जित है, और न ही उनका प्रभाव है तारीख पर मौजूद कार्रवाई के अधिकार को समाप्त करना। इस अर्थ में, सीमा प्रावधान तथ्यों के एक समूह के संदर्भ में प्रक्रियात्मक और तथ्यों के एक अलग समूह के संदर्भ में ठोस हो सकते हैं। इसलिए, जब तक कि सीमा की अवधि से संबंधित प्रावधान की भाषा स्पष्ट रूप से व्यक्त शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ द्वारा निहित अधिकारों को छीनने का एक विपरीत इरादा प्रकट नहीं करती है,

इस तरह के प्रावधान को संभावित माना जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के संदर्भ में यह कहा जाना चाहिए कि उक्त खंड केवल तभी लागू होगा जब - एक पुरस्कार समाप्त नहीं हुआ था और 1 जनवरी 2014 को समय उपलब्ध था। जहां और यदि अधिनिर्णय देने की अवधि 1 जनवरी 2014 से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो धारा 24 (1) का खंड (ए) लागू नहीं होगा ताकि उन निहित अधिकारों को वंचित और अस्वीकार किया जा सके जो पहले ही भूमि मालिकों के पक्ष में अर्जित हो चुके हैं। तत्काल मामला 2013 के अधिनियम के अधिनियमन पर भूमि मालिकों के निहित अधिकारों के विनिवेश का नहीं है। [पैरा 17] [1148-ए-ई]

2.10 धारा 25 धारा 24 के तुरंत बाद प्रक्रिया का एक नियम है और "सभी प्रावधानों" के फासिकुलस का एक हिस्सा है।

धारा 25-30, "मुआवजे के निर्धारण से संबंधित"। इसलिए, 2013 के अधिनियम के तहत "मुआवजे के निर्धारण से संबंधित सभी प्रावधान" अभिव्यक्ति में धारा 25 शामिल होगी। [पैरा 18] [1148-एफ] 2.11 2013 के अधिनियम की धारा 24 और 26 से 30 के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को देखते हुए, व्यावहारिक विसंगतियां और विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं यदि घोषणा जारी होने की तारीख से शुरू होने वाले 1894 के अधिनियम की धारा 11ए के संदर्भ में पुरस्कार देने के लिए दो साल की अवधि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास निगम के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों पर लागू होती है।

महेश

2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए)। यह समय निर्धारित करने के पीछे अंतर्निहित विधायी इरादे के खिलाफ कम करेगा

सहेजी गई अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में पुरस्कार देना

निरस्त 1894 अधिनियम के तहत शुरू किया गया, जो दो गुना है: (i) 2013 के अधिनियम के तहत देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय देना; और (ii) 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए के तहत अवधि को दो साल से घटाकर 2013 के अधिनियम की धारा 25 के तहत बारह महीने करके भूमि मालिकों को जल्द और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना। जनवरी 2012 में जारी की गई घोषणाओं के मामले में, 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के लागू होने पर,

2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण एक दिन से एक महीने में अलग-अलग होगा, और जबकि ऐसे मामलों में जहां 1894 के अधिनियम के निरसन के बारह महीने के भीतर घोषणाएं जारी की गई थीं, भूमि मालिकों को एक पुरस्कार के रूप में नुकसान होगा।

2013 के अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि वैध होगी। मामलों के पहले समूह में, मुआवजे के निर्धारण में शामिल भारी तथ्यात्मक और कानूनी अभ्यास और 2013 अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता को देखते हुए, पुरस्कारों का प्रकाशन अव्यावहारिक होगा। जल्दबाजी और गलत पुरस्कार भूमि मालिकों के लिए हानिकारक होंगे। यदि पुरस्कार घोषित नहीं किए जाते हैं, तो अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 24 (1) (ए) के पीछे के विधायी इरादे को विफल कर देगी।

ऐसी कार्यवाहियों को बचाने के लिए 2013 का अधिनियम। इसलिए, विधायी इरादे के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर पहुंचने के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 और 26 से 30 के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। धारा 25 धारा 19 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन को सीमा के प्रारंभिक बिंदु के रूप में संदर्भित करती है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के संदर्भ में धारा 19 के तहत कोई अधिसूचना नहीं होगी, लेकिन इसके तहत घोषणा की जाएगी।

1894 के अधिनियम की धारा 6। जब धारा 6 के तहत घोषणाएं 1 जनवरी 2014 को मान्य हैं, तो विधायी इरादे को प्रभावी बनाना और प्रारंभिक बिंदु पर विचार करना आवश्यक है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के संदर्भ में, 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणाएं अलग नहीं हैं और समान हैं।

2013 अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणाओं के रूप में उद्देश्य। नतीजतन, 2013 के अधिनियम के खंड (ए) से लेकर धारा 24 (1) तक के मामलों में, 2013 के अधिनियम की धारा 25 के तहत किसी पुरस्कार को पारित करने/देने की सीमा अवधि पहली सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट से शुरू होगी।

[20
21] 9 एस सी आर।

जनवरी 2014, यानी वह तारीख जब 2013 का अधिनियम लागू हुआ। धारा 24 (1) के खंड (ए) के तहत पारित पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से बारह महीने के भीतर दिए जाने पर मान्य होंगे। यह उक्ति इस चेतावनी के अधीन है कि एक घोषणा जो 31 दिसंबर 2013 से पहले या 31 दिसंबर 2013 को 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के संदर्भ में समाप्त हो गई है, उसे पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। [पैरा 20] [1149-ई-एच; 1150-ए-एफ]

2.12 नियम के आधार पर भूमि मालिकों का समर्पण

2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत लागू किए जाने वाले मुआवजे की गणना, लेकिन यह उस धारा 25 का पालन नहीं करता है जो निर्धारित करता है कि पुरस्कार देने की सीमा लागू नहीं होगी। 2013 अधिनियम की धारा 25 धारा 24 (1) (ए) के तहत दिए गए पुरस्कारों पर लागू होती है और बारह महीने की सीमा की अवधि 1 जनवरी 2014 से शुरू होगी। [पैरा 21] [1150-एफ-एच; 1151-ए-सी]

2.13 राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि न तो 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के तहत पुरस्कार देने की अवधि और न ही

2013 के अधिनियम की धारा 25 लागू होगी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसकी विधायिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका परिणाम

यह होगा कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के तहत पुरस्कार देने और पारित करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। यह अस्वीकार्य और फिर से पूरी तरह से विपरीत होगा। 2013 के अधिनियम में धारा 25 को अधिनियमित करने के विधायी इरादे के लिए। इसलिए, जब धारा 25 की व्याख्या की जाती है तो बेतुकी और विसंगतियों से बचने के लिए संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण निर्माण उचित है। [पैरा 22] [1151-सी-ई]

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 एस. सी. सी. 129: [2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

2.14 मुआवजे का निर्धारण एक जटिल तथ्यात्मक और कानूनी अभ्यास है।

2013 के अधिनियम की धारा 26 (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के अनुसार गणना किया गया बाजार मूल्य कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द परियोजना, अहमदाबाद, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास निगम v होगा। महेश

पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कारक से गुणा किया गया। सबसे पहले

अनुसूची विभिन्न घटकों की गणना करती है जो उन लोगों को दिए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे के पैकेज का गठन करते हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और धारा 3 के खंड (सी) में निर्दिष्ट किरायेदारों को दिया जाना है। पहली अनुसूची के कॉलम 2 और 3 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर बाजार मूल्य को 1 और 2 के बीच गुणा/फैक्टर किया जाना है। कारक को "उपयुक्त सरकार" द्वारा अधिसूचित किया जाना है। जब कारक/गुणक 1 से अधिक होता है, तो देय क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य से आनुपातिक रूप से अधिक होगी।

[पारस 19,23] [1148-जी; 1152-ए-सी]

2.15 विवादित फैसले में कहा गया है कि वह अवधि जब 26.05.2014 का स्थगन आदेश प्रभावी था, अप्रासंगिक है

और अप्रासंगिक क्योंकि उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी। उक्त तर्क को इस सरल कारण से स्वीकार करना मुश्किल है कि यह अंतरिम आदेश की भाषा और मुआवजे के पुनर्निर्धारण में इसके वास्तविक प्रभाव की अनदेखी करता है। द. उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश ने भूमि अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई को रोक दिया था। निषेध की इस अवधि को 1894 के अधिनियम की धारा के तहत एक प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार पारित करने की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा गया है। इसके अलावा, दी गई रोक अन्य लोगों पर भी लागू होगी जिन्होंने उस ओर से रोक प्राप्त नहीं की थी। [पैरा 25] [1152-एफ-एच; 1153-बी]

अभय राम (डी) एल. आर. द्वारा। और अन्य वी। भारत संघ और अन्य (1997) 5 एस. सी. सी. 421: [1997] 3 एससीआर 931 - संदर्भित किया गया।

2.16 यह तर्क कि कानून सभी संभावित परिदृश्यों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है, और यह अदालतों पर है कि वे विधायी इरादे का पता लगाकर न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से अंतराल को दूर करें और यह कि न्यायालय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से प्रावधान के शब्दों का अर्थ लगाने का सहारा लेता है, 2013 अधिनियम की धारा 25 पर भी लागू होगा। यदि अन्यथा व्याख्या की जाती है, तो यह विसंगतियां लाएगा और इसका कारण बनेगा। अन्याय। [पैरा 27,29] [1154-बी-सी; 1154-जी-एच]

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 एससीसी 129: [2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.18 उच्च न्यायालय ने 26 मई, 2014 को 19 मार्च, 2014 की अधिसूचना के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी।

और बाद में 23 सितंबर 2014 को पुरस्कारों के प्रकाशन की अनुमति देने वाले आदेश को संशोधित किया, 26 मई 2014 से 23 सितंबर 2014 तक 129 दिनों की मध्यवर्ती अवधि और किसी भी मामले में 26 मई 2014 से 13 अगस्त 2014 की नई अधिसूचना जारी होने तक 79 दिनों की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। आम तौर पर, 31 दिसंबर 2014 से पहले दिया गया या पारित किया गया पुरस्कार वैध होगा। हालाँकि, 79 दिनों की मध्यवर्ती अवधि के कारण, इसे 20 मार्च 2015 तक किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि मालिकों का विशिष्ट मामला अधिनियम की धारा 11 ए के अधिदेश के कारण अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त करने के बारे में था।

1894 का अधिनियम। यह भी दूर से सुझाव नहीं दिया गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही नए कानून 2013 अधिनियम, विशेष रूप से इसकी धारा 25 के अधिदेश के संदर्भ में भी समाप्त हो गई थी। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से 1894 के अधिनियम में व्यपगत प्रावधान के संदर्भ में हमलावर को जवाब देने के लिए कहा गया था। हालाँकि, इसका तत्काल मामले की तथ्य स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर 2013 के अधिनियम की धारा 25 में वर्णित शासन लागू होना चाहिए। [पैरा 30] [1155-ए-डी]

2.19 वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस तर्क के पक्ष में झुकते हुए कहा कि 30 अक्टूबर 2014 का घोषित निर्णय है - बैकडेटेड। हालाँकि, यह 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए के लागू होने के संदर्भ में था और इसके दौरान की अवधि को शामिल नहीं किया गया था।

जिस पर उच्च न्यायालय की रोक चल रही थी। निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय ने प्रयोज्यता के संदर्भ में मामले की जांच नहीं की

2013 अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों और आगे, जैसा कि अब तक अभिनिर्धारित किया गया है, जिस अवधि के दौरान 19 मार्च 2014 की अधिसूचना पर अदालत की रोक लागू थी, उसे बाहर करने की आवश्यकता है। उत्तरार्द्ध के मामले में, हेरफेर और पुरस्कार की पिछली तारीख का तथ्य तब तक महत्वहीन हो जाता है जब तक कि उच्च न्यायालय एक कदम आगे नहीं बढ़ता और यह नहीं मानता कि पुरस्कार 20 मार्च 2015 तक भी नहीं दिया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, जो निष्कर्ष निकला है वह अपरिहार्य है और इसका पालन करना चाहिए कि विचाराधीन अधिग्रहण कार्यवाही कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई थी।

[पैरा 34] [1158-ई-जी] द एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट अम्बादी, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास निगम v. महेश

2.20 यदि भूमि मालिकों द्वारा उठाए गए विचार के बाद की याचिका पर पहली बार इस न्यायालय के समक्ष विचार किया जाना था कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 25 के अधिदेश के कारण भी समाप्त हो गई थी, तो इसे एक से अधिक कारणों से अस्वीकार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, भूमि मालिकों द्वारा कोई तथ्यात्मक आधार निर्धारित नहीं किया गया था, जिसमें यह दावा करना भी शामिल था कि कथित निर्णय 20 मार्च 2015 तक भी नहीं दिया गया था और न ही उच्च न्यायालय को उस तथ्य की जांच करने के लिए कहा गया था। दूसरा, भूमि मालिकों ने "स्वयं" कहा (स्वीकार किया) कि आयुक्त ने 20.11.2014 पर मसौदा पुरस्कार के लिए अनुमति/अनुमोदन दिया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया था कि पुरस्कार धारा 25 के तहत निर्दिष्ट अवधि के बाद दिया गया था या घोषित किया गया था। [पैरा 35] [1158-जी-एच; 1159-ए-बी]

2.21 आम तौर पर, धारा 25 के संदर्भ में, पुरस्कार 31.12.2014 तक प्रकाशित किया जाना चाहिए था। हालांकि, अवधि

तत्काल मामले की तथ्य स्थिति में जारी किया गया। हालाँकि, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कुछ विसंगतियों को देखा, जैसा कि भूमि मालिकों द्वारा विशेष अदालत के समक्ष रिकॉर्ड और कार्यवाही में बताया गया है। भूमि अधिग्रहण, जो कथित अधिनिर्णय बनाने में समाप्त होता है, उस पहलू को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों की पहचान करने के लिए जांच करने के लिए खुला छोड़ना उचित होगा और यदि यह एक शरारत पाई जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि न तो उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ और न ही यह निर्णय अंतिम राय [2021] 9 एस. सी. आर. को प्रभावित कर सकता है।

या ऐसा निष्कर्ष जिस पर ऐसी जांच में पहुंचना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, सभी संबंधितों को अवसर देकर जांच को स्वतंत्र रूप से अपने गुण-दोष पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। [पारस 37,38] [1159-डी-जी]

2.23 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 12 (2) के तहत नोटिस

6 मई 2015 का 1894 का अधिनियम मई 2015 में विभिन्न तिथियों पर भूमि मालिकों को लागू किया गया था। 2013 के अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के साथ-साथ 1894 के अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि पुरस्कार कलेक्टर के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा और कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इच्छुक व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं या नहीं। इसके अलावा, पुरस्कार वास्तविक क्षेत्र के रूप में अंतिम और निर्णायक साक्ष्य है। 2013 के अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (3) के अनुसार कलेक्टर को जनता के लिए खुला रहना चाहिए और इसका सारांश प्रदर्शित करना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण के मामले में की गई पूरी कार्यवाही, जिसमें मुआवजे की राशि भी शामिल है। इन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वे पुरस्कार देने के बाद हैं और इसलिए, वैधानिक समय के भीतर किए जाने पर पुरस्कार की वैधता को प्रभावित नहीं करेंगे। कलेक्टर द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस जारी करना, जो उन व्यक्तियों को दिया जाना है जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित नहीं हैं

जब पुरस्कार दिया जाता है, तो तुरंत जारी किया जाना चाहिए, लेकिन नोटिस जारी करना पुरस्कार देने के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। इसलिए, देर से नोटिस जारी करने से पुरस्कार की वैधता कानूनी रूप से प्रभावित नहीं होगी, हालांकि इसके अन्य परिणाम भी हो सकते हैं। समान रूप से, चुनौती देने और सवाल करने के लिए सीमा अवधि

प्रदान किया गया मुआवजा सेवा पर शुरू होगा /

भूमि मालिकों को पुरस्कार देने के बारे में सूचना। जब यह संतुष्ट किया जाता है कि पुरस्कार निर्धारित अवधि के भीतर दिया गया/प्रकाशित किया गया था, तब भी जब पुरस्कार की पिछली तारीख या भूमि मालिकों पर सेवा लागू करने में देरी हो रही थी, तो भूमि अधिग्रहण

कार्यवाही को दरकिनार करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 39] [1160-ए-एफ]

राजा हरीश चंद्र राज सिंह बनाम। उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी और एक अन्य आकाशवाणी 1961 एससी 1500:

[1962] एस. सी. आर. 676-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2020] 3 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 12,14,22,29 द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट अम्बादी,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

आकाशवाणी 1968 मद्रास 79

[1993] 2 पूरक। एससीआर 326

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1985] 1 एससीआर 432

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1995] 1 एससीआर 996

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 एससीआर 962

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1971] 3 एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1997] 3 एससीआर 931

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[1962] एससीआर 676

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 6673

6674 2021 से।

रिट याचिका में 27.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 का सं. 6884 और विविध में दिनांकित 23.11.2017 आदेश। बॉम्बे, नागपुर बेंच, नागपुर में न्यायिक उच्च न्यायालय की 2015 की रिट याचिका No.6884 में 2017 का सिविल आवेदन संख्या 22747।

के साथ सिविल अपील सं। 6675-6676 2021 से।

सी. यू. सिंह, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नितिन मिश्रा, सुश्री मिताली गुप्ता,

रजत सहगल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बी. एच. मार्लापल्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दिलीप अन्नासाहब तौर, राहुल चिटनिस,

सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों में उत्पन्न होने वाला कानूनी मुद्दा निम्नलिखित से संबंधित है -

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ('2013 अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 24 (1) (ए) की व्याख्या और विशेष रूप से प्रश्नः

क्या धारा 11 ए के तहत निर्दिष्ट दो साल की अवधि

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में '1894 अधिनियम')

1894 के अधिनियम, या बारह के निरसन के बाद भी लागू होता है। 2013 अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट महीने की अवधि [2021] 9 एस. सी. आर. होगी।

धारा 24 (1) के खंड (ए) के तहत दिए गए पुरस्कारों के लिए आवेदन करें।

2013 के अधिनियम का?

कानून के उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय के बाद, हम

दूसरे पहलू पर विचार किया जाएगा-क्या 30 अक्टूबर 2014 का पुरस्कार अनुमेय समय सीमा के भीतर है या अधिग्रहण। क्या कार्यवाही समाप्त हो गई है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम यह भी जांच करेंगे कि क्या 30 अक्टूबर 2014 को पारित किए जाने का दावा किया गया पुरस्कार पिछली तारीख का है और क्या तारीख में हेरफेर करके तारीख में बदलाव किया गया है।

पुरस्कार? सुविधा और स्पष्टता के लिए, हम दोनों मुद्दों से अलग-अलग निपटेंगे।

3. कानूनी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कुछ मौलिक तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। महाराष्ट्र राज्य ने 16 जून 2011 को भंडारा जिले के गाँव अड्याल में 203.86 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 1894 अधिनियम की धारा 4 1 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी।

गोसीखुर्द परियोजना के लिए महाराष्ट्र। इसके बाद 1894 के अधिनियम की धारा 62 के तहत घोषणाओं का प्रकाशन किया गया, जिनमें से अंतिम तिथि 8 अगस्त 2012 है। राजपत्र अधिसूचना सं. एस. ओ. 3729 (ई) दिनांक 19 दिसंबर 2013,2013 अधिनियम 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ और 2013 अधिनियम की धारा 114 के संदर्भ में, 1894 अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2014 को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने कथित तौर पर

2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के संदर्भ में एक पुरस्कार दिया गया।

1 4. प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन-(1) जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी, और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा (ऐसी प्रकाशन की अंतिम तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तारीख, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

(2) इसके बाद यह किसी भी अधिकारी के लिए, या तो आम तौर पर या विशेष रूप से इस संबंध में ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत, और उसके सेवकों और कामगारों के लिए विधिसम्मत होगाः -

ऐसे इलाके में किसी भी भूमि पर प्रवेश करना और सर्वेक्षण करना और उसका स्तर लेना।

उप-मिट्टी में खुदाई या बोर करना;

यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए कि क्या भूमि ऐसे कार्यों के लिए अनुकूलित है।

ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को निशान लगाकर और खाइयों को काटकर चिह्नित करना; और, जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और स्तरों को लिया जा सकता है और सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित किया जा सकता है, किसी भी खड़े हिस्से के किसी भी हिस्से को काटना और हटा देना।

फसल, बाड़ या जंगल; कार्यकारी इंजीनियर, गोसीखुर्द परियोजना, अहमदाबाद,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

4. 18 दिसंबर 2015 और 25 जनवरी 2016 को दो रिट याचिकाएं दायर की गईं।

कुछ भूमि मालिकों द्वारा रद्द करने और अलग रखने के लिए दायर किया गया था

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन में या किसी निवास गृह से जुड़े किसी संलग्न न्यायालय या बगीचे में (जब तक कि उस पर कब्जा करने वाले की सहमति से नहीं) प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि पहले ऐसे कब्जा करने वाले को ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में कम से कम सात दिनों की लिखित सूचना नहीं दी गई हो।

2 6 2. घोषणा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है। - (1) इस अधिनियम के भाग VII के प्रावधानों के अधीन, जब उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो जाती है, विचार करने के बाद धारा 5 ए, उप-धारा (2) के तहत दी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है, तो ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उस आशय की घोषणा की जाएगी और धारा 4, उप-धारा (1) के तहत एक ही अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भी भूमि के विभिन्न पार्सल के संबंध में समय-समय पर अलग-अलग घोषणाएं की जा सकती हैं, भले ही धारा 5 ए, उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट या अलग-अलग रिपोर्ट (जहां भी आवश्यक हो) की गई हो या नहीं।

बशर्ते कि धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी विशेष भूमि के संबंध में कोई घोषणा नहीं, -

((i)

भूमि अधिग्रहण की शुरुआत के बाद प्रकाशित (संशोधन)

और वैधता) अध्यादेश, 1967 (1967 का 1), लेकिन इससे पहले

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 का प्रारंभ प्रकाशन की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद किया जाएगा।

अधिसूचना की; या

((ख)

भूमि अधिग्रहण शुरू होने के बाद प्रकाशित

(संशोधन) अधिनियम, 1984, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद बनाया जाएगाः

धारा 4, उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना पर अदालत के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसे बाहर रखा जाएगा। स्पष्टीकरण 2-जहाँ ऐसी संपत्ति के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम की निधियों से किया जाना है, वहाँ

क्षतिपूर्ति को सार्वजनिक राजस्व से भुगतान किया गया मुआवजा माना जाएगा। (2) प्रत्येक घोषणा सरकारी राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है, जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी, और कलेक्टर ऐसी घोषणा के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा (इस तरह के प्रकाशन की तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तारीख, जिसे इसके बाद घोषणा के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाता है), और ऐसी घोषणा में उस जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाजन का उल्लेख होगा जिसमें भूमि स्थित है, जिसका उद्देश्य - जिसकी आवश्यकता है, उसका अनुमानित क्षेत्र और जहां भूमि की योजना बनाई गई होगी, वह स्थान जहां ऐसी योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) उक्त घोषणा इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि भूमि की आवश्यकता किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या कंपनी के लिए है, जैसा भी मामला हो और ऐसी घोषणा करने के बाद, उपयुक्त सरकार इसके बाद दिखाई देने वाले तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30 अक्टूबर 2014 का पुरस्कार, जिसे 27 जुलाई 2017 को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा पारित चुनौती के तहत निर्णय द्वारा अनुमति दी गई है, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय देते हुए कि 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के संदर्भ में, पुरस्कार धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर, यानी 8 अगस्त 2014 से पहले पारित किया जाना चाहिए था। अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, पुरस्कार को कोई परिणाम नहीं माना गया और इसे अलग कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों से इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि कथित रूप से 30 अक्टूबर 2014 को दिया गया पुरस्कार पिछली तारीख का था। अधिकारियों की ओर से लापरवाही को देखते हुए, जिसके कारण अधिग्रहण प्राधिकरण को नए सिरे से कार्यवाही की आवश्यकता होती है, महाराष्ट्र राज्य को कलेक्टर, भंडारा और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भंडारा के खिलाफ जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुभाग की व्याख्या पर विचार और निर्णय

24 (1) ((a) 2013 के अधिनियम की धारा

5. 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए में कहा गया हैः " 11 ए. जिस अवधि के भीतर पुरस्कार दिया जाएगा

(1) कलेक्टर प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देगा।

घोषणा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो संपूर्ण

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ से पहले प्रकाशित की गई है, पुरस्कार ऐसे प्रारंभ से दो साल की अवधि के भीतर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण-इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही एक आदेश द्वारा रोक दी जाती है।

किसी न्यायालय को बाहर रखा जाएगा।

सीधे शब्दों में कहें तो धारा 11 ए के तहत धारा 11 के तहत एक पुरस्कार की आवश्यकता होती है।

घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए और यदि कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए कार्यवाही

भूमि अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस अवधि के दौरान घोषणा के अनुसार की जाने वाली किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर अदालत के आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है, उसे दो साल की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना है।

द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

एन. डी. ए. आर., महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

" 24. 1894 के अधिनियम संख्या 1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया कुछ मामलों में व्यपगत माना जाएगा।

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में

अधिनियम, 1894 (1894 का 1), -

(क) जहाँ उक्त भूमि की धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार नहीं है। अधिग्रहण अधिनियम बना दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे; या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रावधानों के तहत जारी रहेंगीः

कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जैसे कि उक्त अधिनियम नहीं किया गया है

निरस्त कर दिया।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जहां उक्त धारा 11 के तहत एक अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करेगी।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे सेः

बशर्ते कि जहां कोई पुरस्कार और मुआवजा दिया गया हो

अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो, उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी, तदनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ। 25. जिस अवधि के भीतर पुरस्कार दिया जाएगा। - कलेक्टर धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर एक पुरस्कार देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगीः

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार के पास शक्ति होगी

बारह महीने की अवधि बढ़ाने के लिए यदि उसकी राय में,

परिस्थितियाँ उसी को उचित ठहराती हैं:

बशर्ते कि अवधि बढ़ाने का ऐसा कोई भी निर्णय लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और इसे अधिसूचित किया जाएगा और

संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

XX

XX

XX

114. रद्द करें और बचत करें। – (1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

(1 1894 का) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। (2) जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध किया गया है, उप के तहत निरसन को छोड़कर

धारा (1) को पूर्वाग्रह या सामान्य को प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 का अनुप्रयोग

1897) निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में।

7. उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करने से पहले, यह होगा

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त है जो किसी भी क़ानून या विनियमन के निरसन के प्रभाव से है और पढ़ता है:

" 6. निरस्त करने का प्रभाव

जहां यह अधिनियम, या इसके बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन इस अधिनियम का प्रारंभ, अब तक किए गए किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है।

या इसके बाद किया जाना है, तब तक, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो,

निरसन नहीं होगा (अ)

उस समय लागू या मौजूदा किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करें जिस पर

निरसन प्रभावी होता है; या

(ख)

इस प्रकार निरस्त किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित करता है

या उसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित कुछ भी; या

((ग)

अर्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है,

इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत उपार्जित या उपगत; या

((घ)

किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है

किसी भी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध का सम्मान इस प्रकार निरस्त किया गया; या

(ई)

किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है

ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व का सम्मान,

जैसा कि ऊपर कहा गया है दंड, ज़ब्त या सजा;

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय

ज़ब्त या सजा इस तरह दी जा सकती है जैसे कि निरसन

अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 सामान्य कानून सिद्धांत को बाधित करती है कि निरसन के बाद एक अधिनियम अप्रभावी है जैसे कि अतीत और बंद मामलों को छोड़कर इसका अस्तित्व कभी नहीं था। धारा 6 एक सामान्य अस्थायी प्रावधान है जो व्यापक और मोटे तौर पर खंड (ए) से (ई) के संदर्भ में निरस्त कानून के संचालन को पुनर्जीवित करता है। धारा 6 के खंड (बी), (सी) और (ई) में विशेष रूप से कहा गया है कि निरसन निरस्त अधिनियम के तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करता है।

किसी भी निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित या उपार्जित कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व; या किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, आदि के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय। कानूनी कार्यवाही, जाँच या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और किसी भी दंड, सजा या ज़ब्त को लागू किया जा सकता है जैसे कि निरस्त अधिनियम या विनियमन इसके निरसन के बावजूद अभी भी अस्तित्व में था। हालाँकि, धारा 6 की बचत कुछ हद तक या पूरी तरह से लागू नहीं होती है जब विधायी इरादा अलग होता है। इसके विपरीत इरादे को आवश्यक निहितार्थ द्वारा व्यक्त या एकत्र किया जा सकता है। इसके अलावा, निरसन का दायरा निरसन अधिनियम द्वारा परिकल्पित सीमा से अधिक व्यापक नहीं हो सकता है। इसलिए, एक व्यापक निरसन सीमित हो सकता है यदि निरसन अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से यह कहता है कि यह कुछ मामलों पर लागू नहीं होगा।

एक्ट करें। धारा 114 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, निरसन इस तरह से कार्य नहीं करेगा कि सामान्य खंडों की धारा 6 के अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या प्रभावित हो। एक्ट करें। हालाँकि, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का अनुप्रयोग 2013 के अधिनियम द्वारा "अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा" के अधीन है। दूसरे शब्दों में, जब यह 2013 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आदेशित या अनिवार्य है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को कानूनी प्रभाव नहीं दिया जाना है।

9. 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) एक गैर-अबाधित खंड है। यह प्रावधान को अन्य प्रावधानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान करता है।

प्रावधान। तदनुसार, 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) के संदर्भ में, 2013 अधिनियम की धारा 114 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) द्वारा बाधित सीमा तक लागू नहीं होगी। इसका कारण यह है कि 2013 के अधिनियम की धारा 114, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 की प्रयोज्यता को स्वीकार करते हुए, इसके आवेदन को निम्न के अधीन बनाती है:

" 2013 के अधिनियम में अन्यथा दिए गए प्रावधान के अनुसार बचाएँ। इसके अलावा, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में ही कहा गया है कि सामान्य बचत तब लागू नहीं होगी जब विधायी इरादे विपरीत हों।

ऐसे मामलों में 2013 का अधिनियम लागू नहीं होगा। धारा 24 (1) का खंड (बी) वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। 31 दिसंबर 2013 को या उससे पहले किया गया। 3.

11. वर्तमान मामले में, 2013 की धारा 24 (1) का खंड (ए)

अधिनियम लागू होगा क्योंकि 1894 के अधिनियम के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही 1894 के अधिनियम के निरसन तक एक पुरस्कार में समाप्त नहीं हुई थी। धारा 24 (1) (ए) सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत बचत के कानूनी प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द कर देती है क्योंकि यह 1894 अधिनियम और 2013 अधिनियम के अनुप्रयोग को संकरित करती है। अधिग्रहण की वैधता को बनाए रखते हुए 1894 के अधिनियम के तहत घोषणाओं को जारी करके कार्यवाही में कहा गया है कि 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए सभी प्रावधान लागू होंगे। अनुभाग सचेत रूप से कानूनी प्रभाव को बचाता है

1894 अधिनियम की धारा 4 और/या धारा 6 के तहत जारी अधिसूचनाएं और 2013 अधिनियम के तहत एक नई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता को दूर करती हैं। की गणना के लिए यह 'निर्धारण तिथि की दृढ़ता'

2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत दिए गए पुरस्कारों के लिए मुआवजा विधायी आह्वान के माध्यम से एक विचार है जो समय में देरी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करता है, साथ ही अधिग्रहण के बाद अधिसूचना के कदाचार की जांच करता है, और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि भूमि मालिक 2013 के अधिनियम के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे के लाभ के हकदार हैं।

12. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल और

अन्य 1 (चूक-5 न्यायाधीश), एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जहां अधिग्रहण की कार्यवाही 1894 के अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, लेकिन नहीं

1894 के अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार दिया गया था, 2013 के अधिनियम के प्रावधान मुआवजे के निर्धारण तक सीमित रूप से लागू होंगे। हालाँकि, जहाँ 1894 के अधिनियम के तहत एक पुरस्कार दिया गया था, धारा 24 (1) का खंड (बी) पक्षों के निहित अधिकारों की रक्षा करता है। हमे जरूरत है।

3 वर्तमान मामले में, हमें 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रावधान जब लागू होता है तो 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) पर लागू होता है और इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में व्याख्या की गई है। मनोहरलाल और अन्य (चूक-5 न्यायाधीश)।

न, वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, के अनुपात को स्पष्ट करें 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) की व्याख्या पर उपरोक्त निर्णय, लेकिन यह ध्यान देना उचित है कि संविधान पीठ ने इस बात पर जोर दिया है कि 2013 के अधिनियम में पुनर्वास के प्रावधानों के साथ-साथ अधिक मुआवजे का प्रावधान है, और यह कि इस इच्छित लाभ को, जहां भी लागू हो, वापस नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही, कानूनी पहलू पर

व्याख्या में, यह देखा गया है कि धारा 24 में निहित प्रावधानों को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून बनाने के लिए न्यायालय के लिए नहीं है। न्यायालय उचित मामलों में विधानों में अस्पष्टता को स्पष्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। 13. निहित अधिकारों की परस्पर क्रिया और कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से निपटने के लिए, इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) ने संदर्भित किया है

'अधिकारों' और 'प्रक्रिया' के बीच अंतर करने के लिए कई निर्णयों के लिए, यह देखने के लिए कि पूर्वव्यापीता की सीमा का सवाल भी इस बात पर निर्भर करेगा कि यह पक्षों के साथ कितना अन्याय करता है। इस प्रकार, यदि सीमा अवधि को छोटा कर दिया जाता है, लेकिन दावेदार के पास छोटी अवधि की समाप्ति से पहले मुकदमा करने का समय होता है, तो इसके बावजूद कि वह कम अवधि के भीतर मुकदमा नहीं करता है, तो उसे वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है।

क़ानून जो एक पिछले क़ानून को निरस्त करता है, और एक 'कमी' छोड़ देगा यदि नए क़ानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में नहीं माना जाता है। एक क़ानून जो अपने प्रत्यक्ष संचालन में संभावित है, उसे पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा समय पूर्व से इसके पारित होने तक तैयार किया जाता है। व्याख्या का एक अन्य प्रमुख सिद्धांत यह है कि एक ऐसा निर्माण जिससे अनुचित रूप से कठोर और बेतुका परिणाम मिलते हैं, उससे बचा जाना चाहिए। ये उक्ति प्रासंगिक होने के कारण हमें इस मुद्दे को हल करने और इसका उत्तर देने में मदद मिलेगी। 14. इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के पैराग्राफ 195 में संविधान पीठ ने कहा कि 2013 का अधिनियम संभावित रूप से काम करता है।

इसके अलावा, 2013 के अधिनियम की धारा 114 एक निरसन को प्रभावित करती है लेकिन कुछ

धारा 24 के अनुसार बचत। इस प्रकार, अधिग्रहण की कार्यवाही को 1894 के अधिनियम के तहत पुरस्कार देने के चरण तक संरक्षित किया जाता है। जहां कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, वहां 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान लागू होंगे; जहां पुरस्कार दिया जाता है, वहां 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही जारी रहेगी जैसे कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) की हमारी व्याख्या सम्मानपूर्वक इस मिसाल का अनुसरण करती है।

15. स्पष्ट रूप से, 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए और अधिनियम की धारा 25

2013 अधिनियम प्रतिकूल के साथ सीमा की दो अलग-अलग अवधि निर्धारित करता है।

परिणाम, जैसे कि पुरस्कार देने में विफलता पर अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। चुनाव 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए और 2013 की धारा 25 के बीच है सटीक शब्दों या स्पष्ट घोषणा की अनुपस्थिति हमें भाषा के साथ-साथ 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प की व्याख्या करने और प्रयोग करने से नहीं रोकेगी। दूसरे शब्दों में, हमें 2013 के अधिनियम के तहत "मुआवजे के निर्धारण से संबंधित सभी प्रावधानों" के शब्दों में संसद के अंतर्निहित इरादे को प्रभाव और अर्थ देना होगा।

16. हम 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के वाक्यांशों की जांच करके शुरू करते हैं। हम इन सभी शब्दों को पढ़ना पसंद करेंगे।

2013 अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट सीमा की अवधि सहित धारा 24 (1) (ए) में मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान। विस्तार से बताने के लिए, धारा 24 (1) (ए) में प्रयुक्त 'सभी' शब्द और 'संबंधित' अभिव्यक्ति को विधायी इरादे को फंसाने के लिए एक व्यापक अर्थ दिया जाना आवश्यक है। "संबंधित" या "संबंधित" अभिव्यक्तियाँ व्यापकता के शब्द हैं जिनका संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व हो सकता है। 6 इसी तरह, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 सी की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने 'संबंध में' वाक्यांश को शुल्क की दर और मूल्यांकन के उद्देश्य से माल के मूल्य के साथ प्रत्यक्ष और निकट संबंध का एक संकीर्ण अर्थ देते हुए कहा कि आम तौर पर 'संबंध में' वाक्यांश का व्यापक महत्व है। 7

कई मामलों में 'संबंधित' अभिव्यक्ति को व्यापक महत्व दिया गया है।

5 नीचे दिए गए पैराग्राफ 21 में हमने राज्य के इस वैकल्पिक तर्क को खारिज कर दिया है कि विधायक ने 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत पुरस्कार देने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की है। 6 राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास का प्रतिनिधित्व इसके सचिव बनाम. अब्दुल अज़ीज़ साहिब और अन्य। , आकाशवाणी 1968 मद्रास 79

1 नवीन केमिकल्स एम. एफ. जी. और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम।

सीमा शुल्क कलेक्टर, (1993) 4 एस. सी. सी. 320 द एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

प्रासंगिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम में संदर्भ प्राप्त करें। अमित गुप्ता और अन्य। 3 इन रेनुसागर पावर

इसका अर्थ 'जुड़ाव में लाना या जुड़ना' माना जाता था। 1 2 12 ये शब्द व्यापक हैं और इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। महत्व। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम को संदर्भित करता है, जिसमें "संबंधित" अभिव्यक्ति को "संबंधित" और "संबंधित" के बराबर या पर्यायवाची माना गया है। यह देखा गया है कि "संबंधित" अभिव्यक्ति विस्तार की अभिव्यक्ति है न कि संकुचन की। द.

जब विधान में "संबंधित" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है तो सामान्य रूप से "किसी संबंध में स्थिति, असर या चिंता होना, संबंधित होना, संदर्भित करना, उसके साथ जुड़ना या संबंध बनाना" को संदर्भित करता है। 13 इसलिए, जब विधान में 'संबंधित' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ एक विस्तृत और व्यापक अर्थ देकर आवश्यकता और आवश्यक होने पर विधायी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। व्याख्या में इस प्रवृत्ति को देखते हुए, "मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों" शब्दों को केवल मुआवजे की गणना पर पर्याप्त प्रावधानों, यानी 2013 अधिनियम की धारा 26 से 30, से संबंधित शब्द की सीमित समझ नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि, अभिव्यक्ति को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि सीमा पर प्रावधान को शामिल किया जा सके।

82021 एससीसी ऑनलाइन एससी 194 9 (1984) 4 एस. सी. सी. 679

1 0 10 (1995) 2 एससीसी 665

11 (1988) 2 एससीसी 299 12 मेसर्स डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और अन्य, (1988) 2 एस. सी. सी. 299 13 ग्वालियर के एच. एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर आदि में मित्तर, जे. (पैराग्राफ 308) का निर्णय देखें। भारत संघ और ए. एन. आर. , (1971) 1 एससीसी 85।

21] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुआवजे की गणना के लिए अवधि, यानी 2013 की धारा 25 एक्ट करें।

17. सीमा के कानून को आम तौर पर प्रक्रियात्मक माना जाता है क्योंकि

उद्देश्य कोई अधिकार बनाना नहीं है, बल्कि उन अवधियों को निर्धारित करना है जिनके भीतर अधिकारों के प्रवर्तन या निर्णय आदेशों को पारित करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। इसलिए, सीमा के क़ानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे लागू होने के बाद लाई गई सभी कानूनी कार्यवाही पर लागू होते हैं। हालाँकि, सीमा से संबंधित कानूनों को इस अर्थ में संभावित माना गया है कि उनके पास कार्रवाई के अधिकार को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं है जो उनके संचालन में आने की तारीख से पहले से ही वर्जित है, और न ही उनका प्रभाव समाप्त करने का है।

तिथि पर मौजूद कार्रवाई का अधिकार। इस अर्थ में, सीमा प्रावधान तथ्यों के एक समूह के संदर्भ में प्रक्रियात्मक हो सकते हैं और इसमें मूल हो सकते हैं।

तथ्यों के एक अलग समूह का संदर्भ। इसलिए, जब तक कि सीमा की अवधि से संबंधित प्रावधान की भाषा स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ से प्रकट नहीं होती है, एक विपरीत इरादा निहित स्वार्थ को अलग करता है।

अधिकार, इस तरह के प्रावधान को संभावित माना जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के संदर्भ में, यह कहा जाना चाहिए कि उक्त खंड केवल तभी लागू होगा जब कोई पुरस्कार देने की अवधि नहीं थी।

समाप्त हो गया और समय 1 जनवरी 2014 को उपलब्ध था। जहां और यदि पुरस्कार देने की अवधि 1 जनवरी 2014 से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो धारा 24 (1) का खंड (ए) लागू नहीं होगा ताकि उन निहित अधिकारों को वंचित और अस्वीकार किया जा सके जो पहले ही इसके पक्ष में अर्जित हो चुके हैं।

जमीन के मालिक। वर्तमान मामला 2013 के अधिनियम के अधिनियमन पर भूमि मालिकों के निहित अधिकारों के बंटवारे का नहीं है। 18. धारा 25 धारा 24 का तुरंत पालन करने वाली प्रक्रिया का नियम है और धारा 25 से लेकर "सभी प्रावधानों" के फासिकुलस का एक हिस्सा है।

30 , " मुआवजे के निर्धारण से संबंधित "। इसलिए, 2013 के अधिनियम के तहत "मुआवजे के निर्धारण से संबंधित सभी प्रावधान" अभिव्यक्ति में 2013 के अधिनियम की धारा 25 शामिल होगी।

19. मुआवजे का निर्धारण कभी भी सरल नहीं होता है। यह एक जटिल तथ्यात्मक और कानूनी अभ्यास है। 2013 के अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (2) के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत गणना किए गए बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने वाले कारक से गुणा किया जाना है। अनुभाग

30 (2) कलेक्टर से देय मुआवजे के विवरण और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतान के विवरण का विवरण देते हुए व्यक्तिगत पुरस्कार जारी करने की आवश्यकता होती है। पहली अनुसूची के अनुसार, शहरी क्षेत्र से दूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में कारक/गुणक एक और दो के बीच हो सकता है, और इस

कारक/गुणक को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द परियोजना, अहमदाबाद, भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास द्वारा अधिसूचित किया जाना है

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

" उचित सरकार "। यह पहलू महत्वपूर्ण है जब हम दूसरे मुद्दे की जांच करते हैं और बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से चित्रित करता है कि जब तक गुणक की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है

" ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सरकार, धारा 26 की उप धारा (2) के संदर्भ में मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जब 1 से अधिक का गुणक लागू होता है, तो 2013 अधिनियम की धारा 26 के तहत देय मुआवजा भूमि के बाजार मूल्य से अधिक होगा। 2013 के अधिनियम की धारा 30 (1) में कहा गया है कि कलेक्टर कुल मुआवजे का निर्धारण करने के बाद, अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए, मुआवजे की राशि के 100% के बराबर राशि का 'मुआवजे' लगाएगा। धारा 30 (3) के अनुसार, भूमि के बाजार मूल्य के अलावा भूमि मालिक प्रति वर्ष बारह प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि के हकदार हैं।

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाला वर्ष

ऐसी भूमि के संबंध में धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख या भूमि पर कब्जा करने की तारीख, जो भी पहले हो, तक। 14 इसके विपरीत, 1894 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के प्रावधान

अलग-अलग हैं। 1894 के अधिनियम के तहत, कोई गुणक/कारक लागू नहीं किया जाना है और देय राशि 30 प्रतिशत है। धारा 25 में बारह महीनों की बाहरी सीमा का निर्धारण एक परिकलित आदेश है, जो आवश्यक और आवश्यक है।

2013 के अधिनियम के तहत पुरस्कार देने में शामिल समय, कार्य और प्रयास को देखते हुए उपयुक्त है। 20. 2013 के अधिनियम की धारा 24 और 26 से 30 के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को देखते हुए, हम देखते हैं कि व्यावहारिक विसंगतियां और विसंगतियां हो सकती हैं।

यह तब उत्पन्न होता है जब घोषणा जारी होने की तारीख से शुरू होने वाले 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए के संदर्भ में पुरस्कार देने की दो साल की अवधि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों पर लागू होती है। यह इसके पीछे अंतर्निहित विधायी इरादे को कम करेगा। निरस्त 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई सहेजी गई अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में पुरस्कार देने के लिए समय का निर्धारण, जो दो गुना हैः (i) 2013 अधिनियम के तहत देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय देना; और (ii) 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के तहत अवधि को दो साल से घटाकर 2013 अधिनियम की धारा 25 के तहत बारह महीने करके भूमि मालिकों को जल्द और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना। जनवरी 2012 में जारी की गई घोषणाओं के मामले में, 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के आवेदन पर, 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करने का समय एक दिन से एक महीने में भिन्न होगा, और जबकि ऐसे मामलों में जहां -

14 वर्तमान विवाद के प्रयोजनों के लिए, हम 2013 अधिनियम की धारा 30 (3) के प्रावधानों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं।

जमींदारों के लिए। यदि पुरस्कार घोषित नहीं किए जाते हैं, तो अधिग्रहण की कार्यवाही इस तरह की कार्यवाही को बचाने के लिए 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के पीछे के विधायी इरादे को विफल कर देगी। इसलिए, हम एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर पहुंचने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करेंगे। विधायी इरादे के अनुरूप। 2013 के अधिनियम की धारा 24 और 26 से 30 के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम इस बात से अवगत हैं कि धारा 25 धारा 19 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन को सीमा के प्रारंभिक बिंदु के रूप में संदर्भित करती है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के संदर्भ में धारा 19 के तहत कोई अधिसूचना नहीं होगी, बल्कि 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा होगी। जब धारा 6 के तहत घोषणाएं 1 जनवरी 2014 को मान्य हैं, तो विधायी इरादे को प्रभावी बनाना और प्रारंभिक बिंदु पर विचार करना आवश्यक है। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के संदर्भ में, 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणाएं अलग नहीं हैं और 2013 के अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणाओं के समान उद्देश्य को पूरा करती हैं। नतीजतन, हमारा मानना है कि 2013 के अधिनियम के खंड (ए) से लेकर धारा 24 (1) तक के मामलों में, 2013 के अधिनियम की धारा 25 के तहत किसी पुरस्कार को पारित करने/देने की सीमा अवधि 1 से शुरू होगी।

जनवरी 2014, यानी वह तारीख जब 2013 का अधिनियम लागू हुआ। धारा 24 (1) के खंड (ए) के तहत पारित पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से बारह महीने के भीतर दिए जाने पर मान्य होंगे। यह उक्ति इसके अधीन है

पैराग्राफ 16 (ऊपर) में कहा गया है कि एक घोषणा जो 31 दिसंबर 2013 से पहले या उससे पहले 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के संदर्भ में समाप्त हो गई है, उसे पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।

21. के नियम 19 पर भरोसा करते हुए भूमि मालिकों का तर्क

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निपटान में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (महाराष्ट्र) नियम, 2014

15 19. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही। – (1) कोई भी कार्यवाही जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना 31 दिसंबर 2013 से पहले जारी की गई है और उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार 31 दिसंबर 2013 से पहले नहीं किया गया है, तो कार्यवाही उचित मुआवजे के अधिकार की धारा 26 से 30 में दिए गए सूत्र के अनुसार जारी रखी जाएगी और

प्रतिबंधात्मक अर्थ और 2013 अधिनियम की धारा 25 को हटाना गलत है। इस नियम में कहा गया है कि 2013 अधिनियम की धारा 26 से 30 में प्रदान किया गया सूत्र उन जगहों पर लागू होगा जहां 1894 अधिनियम की धारा 4 (i) के तहत अधिसूचना 31 दिसंबर 2013 से पहले जारी की गई थी और 31 दिसंबर 2013 से पहले कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। नियम 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत लागू किए जाने वाले मुआवजे की गणना के सूत्र को संदर्भित करता है, लेकिन यह इस बात का पालन नहीं करता है कि धारा 25 जो पुरस्कार देने के लिए सीमा निर्धारित करती है, लागू नहीं होगी। ऊपर बताए गए कारणों से, हमारा मानना है कि 2013 अधिनियम की धारा 25 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत दिए गए पुरस्कारों पर लागू होती है और बारह महीने की सीमा की अवधि 1 जनवरी 2014 से शुरू होगी।

22. राज्य द्वारा वैकल्पिक तर्क कि न तो 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के तहत पुरस्कार देने की अवधि और न ही धारा 25

2013 का अधिनियम लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसकी हम मानते हैं कि विधायिका ने कभी कल्पना नहीं की थी। परिणाम यह होगा कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के तहत पुरस्कार देने और पारित करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। यह अस्वीकार्य होगा और 2013 के अधिनियम में धारा 25 को लागू करने के विधायी इरादे के पूरी तरह विपरीत होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में पठित और व्याख्या की गई धारा 24 इस प्रकार का समर्थन नहीं करेगी

निर्माण। इसलिए, जब हम 2013 के अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या करते हैं तो बेतुकी और विसंगतियों से बचने के लिए संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण निर्माण उचित है।

क्या पुरस्कार 2013 अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पारित किया गया है या अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है?

23. अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, पुरस्कार 30 अक्टूबर 2014 को घोषित किया गया था, जो निम्नलिखित अवधि के भीतर है -

1 जनवरी 2014 को लागू होने वाले 2013 के अधिनियम की धारा 25 द्वारा निर्धारित बारह महीने। हालाँकि, भूमि मालिक प्रकाशन की तारीख पर विवाद करते हैं। विवादित फैसले में कहा गया है कि पुरस्कार, हालांकि दिनांकित है

30 अक्टूबर 2014 की तारीख को पीछे कर दिया गया है। हालांकि, इससे पहले कि हम इस विवाद की जांच करें, पहले इसके प्रभाव पर ध्यान देना उचित होगा

2014 की रिट याचिका संख्या 4274 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश। उक्त के प्रभाव को समझने के लिए रोक लगाने के लिए, हमें फिर से 2013 अधिनियम की

धारा 26 (2) का विज्ञापन करना चाहिए। यह धारा अभिनिर्धारित करती है कि उप-धारा (1) के अनुसार गणना किए गए बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा।

पहली अनुसूची में विभिन्न घटकों की गणना की गई है जो उन लोगों को दिए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे के पैकेज का गठन करते हैं जिनकी भूमि है अर्जित किए गए और धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किरायेदारों को। पहली अनुसूची के कॉलम 2 और 3 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर बाजार मूल्य को 1 और 2 के बीच गुणा/फैक्टर किया जाना है। कारक को "उपयुक्त सरकार" द्वारा अधिसूचित किया जाना है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जब कारक/गुणक 1 से अधिक होता है, तो देय क्षतिपूर्ति होगी -

आनुपातिक रूप से बाजार मूल्य से अधिक।

24. 19 मार्च 2014 को, महाराष्ट्र राज्य ने एक अधिसूचना प्रकाशित की थी जिसमें निर्देश दिया गया था कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गुणक होगा

1 का कारक। इस अधिसूचना को औरंगाबाद के समक्ष चुनौती दी गई थी।

13 अगस्त 2014 की अधिसूचना को चुनौती दें और उस पर रोक लगाने की मांग करें। राज्य सरकार ने बदले में स्थगन आदेश में संशोधन/छुट्टी के लिए एक आवेदन दायर किया था। 23 सितंबर 2014 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2014 की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि 13 अगस्त 2014 की अधिसूचना जारी होने के बाद पारित किए गए पुरस्कार रिट याचिका में निर्णय के अधीन होंगे। 25. हालाँकि, विवादित निर्णय में कहा गया है कि 26 मई 2014 का स्थगन आदेश प्रभावी होने की अवधि अप्रासंगिक है और

मुआवजे का पुनर्निर्धारण। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश ने भूमि अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई को बाधित कर दिया था। इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) एल. आर. द्वारा अभय राम (डी) सहित अधिकारियों के एक समूह को संदर्भित करता है।

और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

अन्य वी। भारत संघ और अन्य ", 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए के परंतुक में उपयोग किए गए" कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक "शब्दों को उचित अर्थ देने के लिए जिसका अर्थ किसी अदालत द्वारा पारित किसी भी प्रकार का आदेश है, जो किसी न किसी तरह से अधिकारियों को पुरस्कार पारित करने से रोकता है या रोकता है। निषेध की इस अवधि को 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए के तहत एक प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार पारित करने की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा गया है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में दी गई रोक अन्य लोगों पर भी लागू होगी जिन्होंने उस ओर से रोक प्राप्त नहीं की थी।

26. इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में, 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के संदर्भ में, संविधान पीठ ने देखा है कि समय के अपवर्जन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि 2013 के अधिनियम की धारा 19 और 69 के तहत समय के अपवर्जन के लिए स्पष्ट प्रावधान है। फिर भी, संविधान पीठ ने मुद्दे पर चर्चा करते हुए सं. 5 - ' स्थगन या निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले न्यायालय के अंतरिम आदेश का प्रभाव जिसके द्वारा अधिकारी कब्जा करने या भुगतान करने में असमर्थ हैं और इसके अपवर्जन का अवलोकन किया गया है कि इस तरह के आदेश का लोप

2013 के अधिनियम की धारा 19 और 69 में अपवर्जन और विशिष्ट शर्त किसी विशेष विधायी इरादे का संकेत नहीं देती है। समय के अपवर्जन के प्रावधान को 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) में पढ़ा गया था। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, निर्णय के प्रासंगिक भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 331. इन सभी कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक प्रावधान को स्पष्ट रूप से अधिनियमित करने में चूक, जिसमें वह अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान कोई अंतरिम आदेश लागू था, राज्य को अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने से रोकता है, या किसी विशेष मामले या मामलों में अधिनिर्णय को प्रभावी बनाने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप 5 वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य से ऐसी अवधि या अवधियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि समयसीमा का संकेत दिया गया है, जिसके परिणाम के साथ

2013 के अधिनियम की धारा 19 और 69 के तहत व्यपगत होने का मतलब यह नहीं है कि इस तरह के समय (अंतरिम आदेशों के निर्वाह) को शामिल करने में चूक का कोई विशेष विधायी उद्देश्य है। यह न्यायालय नोटिस करता है,

इस संदर्भ में, कि नए अधिनियम के तहत भी (और न ही यह 1894 के अधिनियम के तहत ऐसा था) एक निर्दिष्ट समय के भीतर मुआवजे का भुगतान न करने के लिए, पूरे अधिग्रहण के समाप्त होने के लिए कोई प्रावधान अधिनियमित नहीं किया गया है और न ही कब्जे के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भुगतान और जमा प्रावधानों (धारा 77 के तहत) का पालन न करने से केवल इसके तहत अधिक ब्याज भुगतान होता है।

16 (1997) 5 एस. सी. सी. 421 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 9 एस सी आर।

वर्तमान मामले में, यह निर्धारित करते हुए कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है या नहीं, कौन से अंतरिम आदेश मौजूद थे, इसका एक स्पष्ट परिणाम है - असावधानी या दुर्घटना, विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए,

मैक्सिम एक्टस क्यूरी में अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करने से इनकार

नेमेनेम ग्रेवबिट के परिणामस्वरूप अन्याय होगा "।

विधायी उद्देश्य का पता लगाना। न्यायालय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्रावधान के शब्दों को उचित तरीके से समझने का सहारा लेता है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 24 (2) अंतरिम ठहराव के दौरान बिताई गई अवधि को हटा देती है, और किसी भी दोष या निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है अधिकारी जब मुआवजे का भुगतान या भूमि का कब्जा लेना स्थगन आदेश के संचालन द्वारा बाधित किया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, इस न्यायालय ने वैधानिक पर कई निर्णयों और ग्रंथों पर भरोसा किया

व्याख्या जो नीचे दिए गए कानूनी मानदंडों पर विस्तृत थीः

" लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया "-कानून उम्मीद नहीं करता है

असंभव का प्रदर्शन;

" एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट "-अदालत का एक कार्य किसी भी व्यक्ति को पूर्वाग्रहित नहीं करेगा;

" नेमो टेनेटर एड इम्पॉसिबिलिया "-कोई भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है

असंभव; और

" नपुंसकता बहाना कानून "-जहाँ कोई व्यक्ति कानून द्वारा बनाए गए कर्तव्य का पालन करने से अक्षम है, बिना किसी चूक के, और उसका कोई उपाय नहीं है, वहाँ कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा।

28. यह आगे निष्कर्ष निकाला गया था, जो "कमोडम एक्स-इंजुरिया सुआ नेमो हैबरे डेबेट" (अर्थः सुविधा नहीं हो सकती

क्षतिपूर्ति और कब्जा सौंप दिया। 29. उपरोक्त तर्क 2013 के अधिनियम की धारा 25 पर भी लागू होगा। यदि इसकी अन्यथा व्याख्या की जाए, तो यह विसंगतियां लाएगा।

और अन्याय का कारण बनेगा।

द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

भंडारा, महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

30. पूर्ववर्ती चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि

चूंकि उच्च न्यायालय ने 26 मई 2014 को 19 मार्च 2014 की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी थी और बाद में 23 सितंबर 2014 को पुरस्कारों के प्रकाशन की अनुमति देते हुए आदेश में संशोधन किया था, 26 मई 2014 से 23 मई 2014 तक 129 दिनों की मध्यवर्ती अवधि।

सितंबर 2014 और 26 मई 2014 से 13 अगस्त 2014 की नई अधिसूचना जारी होने तक 79 दिनों के किसी भी मामले में इसे बाहर रखा जाना चाहिए। आम तौर पर, 31 दिसंबर 2014 से पहले दिया गया या पारित किया गया पुरस्कार वैध होगा। हालाँकि, 79 दिनों की उपर्युक्त मध्यवर्ती अवधि के कारण, इसे 20 मार्च 2015 तक किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि मालिकों का विशिष्ट मामला अधिनियम की धारा 11 ए के अधिदेश के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने के बारे में था।

1894 एक्ट करें। यह दूर से भी नहीं बताया गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही नए अधिदेश के संदर्भ में भी समाप्त हो गई थी।

विधान 2013 अधिनियम है, विशेष रूप से इसकी धारा 25। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से हमलावर को जवाब देने के लिए कहा गया था

अधिग्रहण कार्यवाहियों को बचाने के लिए, 1894 अधिनियम की धारा 11 ए के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, भूमि मालिकों की याचिका की जांच करना आवश्यक हो गया कि संबंधित अधिकारियों ने पुरस्कार को 30 अक्टूबर 2014 के रूप में निर्धारित किया। उस मुद्दे पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस प्रकार उल्लेख कियाः

" यह रिट के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पर दिखाई देता है।

प्रत्यर्थी की ओर से दायर याचिका और प्रत्युत्तर और हलफनामा-इन-जवाब। 1 4 कि यद्यपि पुरस्कार बहुत बाद में पारित किया गया था, उत्तरदाता संख्या द्वारा एक शो बनाया जाता है। 2 और 3 ने 30.10.2014 पर पुरस्कार पारित किया है। याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों और प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट है कि किसी भी उत्तरदाता द्वारा विवादित नहीं है कि

नगर योजना द्वारा संचार जारी करना

11.11.2014 पर विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को विभाग पुरस्कार में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से संबंधित। एक बाहरी प्रविष्टि संख्या है। 32 दिनांकित [2021] 9 एस. सी. आर. के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.11.2014 नगर योजना विभाग द्वारा बनाए गए बाहरी रजिस्टर में। यह प्रविष्टि दर्शाती है कि वास्तव में ए

नगर योजना विभाग द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 11.11.2014 पर सूचना जारी की गई थी। प्रत्यर्थी नं. 3 यह कहने का दुस्साहस है कि उन्हें नगर योजना विभाग से ऐसा कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है और पुरस्कार में उक्त संचार का संदर्भ एक लिपिकीय गलती है। बाहर से प्रवेश संख्या। 32 , हम पाते हैं कि यह

नगर योजना विभाग द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को पत्र जारी किया गया था और पुरस्कार में इस पत्र के संदर्भ से यह स्पष्ट है कि विशेष

वास्तव में, यह प्रत्यर्थी संख्या के लिए आवश्यक नहीं था। 2 और 3 ने 30.10.2014 पर पुरस्कार पारित करने का प्रदर्शन किया है, जैसे कि पुरस्कार 30.10.2014 पर पारित किया गया था, अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों को देखते हुए समाप्त हो गई होगी क्योंकि अंतिम धारा 6 अधिसूचना स्वीकार्य रूप से 08.08.2012 पर जारी की गई थी और पुरस्कार 08.08.2014 पर या उससे पहले पारित किया जाना चाहिए था। हम प्रत्यर्थी की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। 1 3 कि चूंकि औरंगाबाद पीठ द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। हमें डर है कि 2014 की रिट याचिका संख्या 4274, जो औरंगाबाद पीठ के समक्ष लंबित थी, का इस मामले में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से कोई संबंध नहीं था। औरंगाबाद पीठ ने केवल दिनांकित अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी थी

19.03.2014 जो गुणक से संबंधित है। औरंगाबाद पीठ ने किसी भी भूमि अधिग्रहण मामले में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी। भूमि अधिग्रहण का मामला बहुत कम है जिससे हम संबंधित हैं।

द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

एन. डी. ए. आर., महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

यदि ऐसा है, तो पुरस्कार 30.10.2014 पर पारित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों को देखते हुए यह समाप्त हो जाता। यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि प्रतिवादी संख्या। 1 3 ने राज्य सरकार के संचार पर भरोसा किया है

दिनांक 18.10.2014 कि सभी भूमि अधिग्रहण मामलों में कार्यवाही जारी नहीं रखी जानी चाहिए

औरंगाबाद पीठ ने 2014 की रिट याचिका संख्या 4274 में, उक्त तिथि से सिर्फ दो सप्ताह के भीतर, पुरस्कार कथित रूप से पारित किया गया है।

30.10.2014 . हम पाते हैं कि कई अनियमितताएं और अवैधताएं हुई हैं।

धारा 4 अधिसूचना दिनांक 16.06.2011 के अनुसरण में शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण मामले के साथ आगे बढ़ते समय किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि रोज़नामा केवल 06.05.2014 तक ही रखा जाता है। रोजनामा की प्रति, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा 13.03.2015 पर प्राप्त की गई थी और जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, यह दर्शाता है कि रोजनामा केवल 06.05.2014 तक ही रखा जाता है। अगर रोजनामा को अंत तक बनाए रखा जाता, तो यह अदालत यह अनुमान लगा सकती थी कि वास्तव में पुरस्कार कब पारित किया गया था। यह आश्चर्य की बात है कि प्रतिवादी नं। 3 यह रुख अपनाया है कि रोज़नामा को कभी भी बनाए नहीं रखा गया था

06.05.2014 चूंकि कार्यवाही के कार्यालय में थे

कमिश्नर। यह मानते हुए भी कि कार्यवाही में थे आयुक्त का कार्यालय, यदि वे पहले प्राप्त किए गए थे

30.10.2014 , चूंकि पुरस्कार कथित रूप से उस तारीख को पारित किया गया था, इसलिए रोजनामा को आयुक्त के कार्यालय से कार्यवाही प्राप्त होने के बाद बनाए रखा जा सकता था, हालांकि, रोजनामा 06.05.2014 पर समाप्त होता है। हम नहीं जानते कि रोज़नामा के बाद के सभी पृष्ठों को नष्ट कर दिया गया है या नहीं।

भूमि अधिग्रहण में क्या हुआ, इसे छिपाने का दृष्टिकोण 06.05.2014 "के बाद की कार्यवाही।

32. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी (ओं) के रुख और उससे पहले उच्च न्यायालय ने गलती से पुरस्कार को रद्द कर दिया था

प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना विभाग के एक ही संचार के लिए अलग-अलग तिथियों का उल्लेख किया गया है अर्थात 26 तारीख

एम्बर 2014 और 11 नवंबर 2014। जबकि, उच्च न्यायालय 1 महाराष्ट्र राज्य द्वारा 5 जुलाई 2017 को डब्ल्यू. पी. सं. 6884/2015 में दायर किए गए विस्तृत हलफनामे पर विचार करेगा, जिसमें स्पष्ट

किया गया है कि तारीख सं. 32 और पुरस्कार के 37 को गलत तरीके से 26 सितंबर 2014 के बजाय 11 नवंबर लिखा गया था। उच्च न्यायालय ने भी नोट किया था [2021] 9 एस. सी. आर.

कि आयुक्त ने 20 नवंबर 2014 को पुरस्कार को मंजूरी दी, लेकिन यह मसौदा पुरस्कार को मंजूरी देने वाले संभागीय आयुक्त के 8 अक्टूबर 2014 के पत्र पर विचार करने में विफल रहा। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्ष को प्रथम दृष्टया विशेष रूप से ऐसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व की लाभकारी परियोजना के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं करना चाहिए था और अपीलार्थी (ओं) पर बिना किसी गलती के भारी वित्तीय नुकसान का बोझ नहीं डालना चाहिए था।

33. हमारे सामने फिर से भूमि मालिक 30 अक्टूबर 2014 के पुरस्कार में तथ्य नोट पर भरोसा करते हैं, जिसमें नगर योजना विभाग से 11 नवंबर 2014 को विशेष नगर निगम को भेजे गए पत्र का उल्लेख किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इस तथ्य का संकेत देते हैं कि पुरस्कार उस तारीख तक प्रकाशित नहीं किया गया था। भूमि मालिक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिग्रहण निकाय को 1 दिसंबर 2014 को जारी एक अन्य संचार पर भी भरोसा कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि मसौदा पुरस्कार

आयुक्त को प्रस्तुत किया गया था और अनुमोदित होने की संभावना थी,

अधिग्रहण करने वाले निकाय से मुआवजे की राशि जमा करने के लिए कहना। 43.94 उनके कार्यालय के साथ करोड़। इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि 6 मई 2014 के बाद विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा रोज़नामा का रखरखाव नहीं किया गया था। इसके अलावा, भूमि मालिकों को केवल 6 मई 2015 को नोटिस के साथ पुरस्कार की प्रमाणित वास्तविक प्रति प्राप्त हुई थी।

34. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस तर्क के पक्ष में झुकते हुए कहा कि 30 अक्टूबर 2014 का घोषित निर्णय पिछली तारीख का है। हालाँकि, यह 1894 के अधिनियम की धारा 11 ए के लागू होने के संदर्भ में था और उस अवधि को शामिल नहीं किया गया था जिसके दौरान उच्च न्यायालय की रोक चल रही थी। निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय ने 2013 के अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के लागू होने के संदर्भ में मामले की जांच नहीं की और आगे, जैसा कि हमारे द्वारा अब तक माना गया है, जिस अवधि के दौरान 19 मार्च 2014 की अधिसूचना पर अदालत की रोक लागू थी, उसे लागू करने की आवश्यकता है।

बहिष्कृत। उत्तरार्द्ध के मामले में, हेरफेर और पुरस्कार की पिछली तारीख का तथ्य महत्वहीन हो जाता है जब तक कि उच्च न्यायालय एक कदम नहीं उठाता।

और मान लीजिए कि यह पुरस्कार 20 मार्च 2015 तक भी नहीं दिया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, वर्तमान अपीलों में हमारे द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष अपरिहार्य है और इसका पालन करना चाहिए कि विचाराधीन अधिग्रहण कार्यवाही कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई थी।

35. तर्क है, अगर हम पहली बार इस न्यायालय के समक्ष भूमि मालिकों द्वारा उठाए गए विचार के बाद की याचिका पर विचार करना चाहते हैं कि अधिग्रहण

धारा 25 के अधिदेश के कारण भी कार्यवाही समाप्त हो गई थी। 2013 के अधिनियम के अनुसार, इसे एक से अधिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद के लिए अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

कारण। पहला, भूमि मालिकों द्वारा कोई तथ्यात्मक आधार निर्धारित नहीं किया गया है, जिसमें यह दावा करना भी शामिल है कि कथित निर्णय 20 मार्च 2015 तक भी नहीं दिया गया था और न ही उच्च न्यायालय को इस तथ्य की जांच करने के लिए कहा गया था। दूसरा, भूमि मालिकों ने "स्वयं" कहा है (स्वीकार किया है) कि आयुक्त ने 20 नवंबर 2014 को मसौदा पुरस्कार के लिए अनुमति/अनुमोदन दिया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह नहीं माना था कि पुरस्कार 2013 अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्दिष्ट अवधि से आगे दिया गया था या घोषित किया गया था।

36. आम तौर पर, धारा 25 के संदर्भ में, पुरस्कार होना चाहिए

31 दिसंबर 2014 तक प्रकाशित किया गया। हालाँकि, जैसा कि हमारे द्वारा माना गया है, 79 दिनों की अवधि, जब अंतरिम स्थगन आदेश लागू था, को बाहर रखने की आवश्यकता है, जिस स्थिति में पुरस्कार वैध रूप से 20 मार्च 2015 तक किया जा सकता है। इस तिथि को देखते हुए, हमारी राय में, भले ही यह माना जाता है कि 30 अक्टूबर 2014 का पुरस्कार पिछली तारीख का है, यह 20 नवंबर 2014 को आयुक्त द्वारा अनुमोदन दिए जाने के तुरंत बाद विधिवत किया गया था, जो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के 20 मार्च 2015 से पहले था।

37. इसलिए हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया

विषय अधिनिर्णय की पिछली तारीख के तथ्य पर उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित राय से भूमि मालिकों द्वारा इस घोषणा के लिए रिट याचिका के माध्यम से की गई राहत के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि विषय अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी। हमारी राय में ऐसी घोषणा वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में जारी नहीं की जा सकती है।

38. हालाँकि, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कुछ विसंगतियों को देखा है, जैसा कि भूमि मालिकों ने रिकॉर्ड और कार्यवाही में बताया है

विशेष भूमि अधिग्रहण के अंतिम रूप से घोषित पुरस्कार दिए जाने से पहले, उस पहलू को पूछताछ के लिए खुला रखना उचित होगा।

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों की पहचान करने के लिए जांच करके और यदि यह एक शरारत पाई जाती है, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि न तो उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ और न ही यह निर्णय अंतिम राय या निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है जिस पर ऐसी जांच में पहुंचना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, सभी संबंधितों को अवसर देकर जांच को स्वतंत्र रूप से अपने गुण-दोष पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

17 1 7 जैसा कि उत्तरदाता/दावेदारों की ओर से दायर लिखित तर्कों के अनुच्छेद बी (ii) (पृष्ठ 2) में कहा गया है, अनुच्छेद 7 के अंत में विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा नोट किए गए तथ्य के निष्कर्षों के संदर्भ में, प्रविष्टि संख्या। 1081 भूमि अधिग्रहण अधिकारी के आंतरिक रजिस्टर में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. भूमि मालिकों द्वारा की गई इस प्रस्तुति पर विचार करते समय, हमें इस प्रस्तुति पर विचार करना चाहिए कि 6 मई 2015 के 1894 अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत भूमि मालिकों को नोटिस दिया गया था।

मई 2015 में विभिन्न तिथियाँ। 2013 के अधिनियम की धारा 37,1894 के अधिनियम की धारा 12 (2) के समान है और इसलिए हमें इस बात की जांच और विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के खंड (ए) के अंतर्गत आने वाले मामले में दोनों में से कौन सी धारा लागू होगी। 2013 के अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के साथ-साथ 1894 के अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि पुरस्कार

कलेक्टर का कार्यालय और कलेक्टर और इच्छुक व्यक्तियों के बीच अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इच्छुक व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुआ है या नहीं। इसके अलावा, पुरस्कार वास्तविक क्षेत्र के रूप में अंतिम और निर्णायक साक्ष्य है। 2013 के अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (3) के अनुसार कलेक्टर को जनता के लिए खुला रहना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के मामले में की गई पूरी कार्यवाही का सारांश प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें मुआवजे की राशि भी शामिल है। इन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वे पुरस्कार देने के बाद हैं और इसलिए, वैधानिक समय के भीतर किए जाने पर पुरस्कार की वैधता को प्रभावित नहीं करेंगे। कलेक्टर द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस जारी करना, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने वाले व्यक्तियों को या प्रतिनिधियों के माध्यम से दिया जाना है जब पुरस्कार दिया जाता है।

भूमि मालिकों को पुरस्कार देने के बारे में। 18 1 8 ऐसा हो कि जब यह संतुष्ट हो कि पुरस्कार निर्धारित अवधि के भीतर दिया गया था/प्रकाशित किया गया था, तब भी जब पुरस्कार की पिछली तारीख या प्रभावी होने में देरी थी। भूमि मालिकों पर सेवा, भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

40. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित मानते हैं: ((i)

2013 के अधिनियम की धारा 25 दिए गए पुरस्कारों पर लागू होगी। और 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत प्रकाशित किया गया।

18 राजा हरीश चंद्र राज सिंह बनाम देखें। उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी और एक अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1500-गणना की सीमा अवधि की तारीख का अर्थ है संचार की तारीख या एक पक्ष द्वारा ज्ञात की जाती है चाहे वह वास्तव में हो या रचनात्मक रूप से।

द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट, अहमदाबाद,

एन. डी. ए. आर., महाराष्ट्र विदर्भ विकास

निगम v. महेश [संजीव खन्ना, जे.]

((ख)

किसी पुरस्कार को पारित करने/देने के लिए सीमा अवधि

2013 अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ में धारा 24 (1) (ए) 1 जनवरी 2014 से शुरू होगी, यानी उस तारीख से जब 2013 अधिनियम लागू हुआ था।

(111 2013 के अधिनियम की धारा 25 के तहत अवधि की गणना करते समय उस अवधि को बाहर रखा जाएगा, जिसके दौरान अदालत का आदेश अधिकारियों की ओर से पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ने में बाधा डालेगा।

(iv) तदनुसार, 26 मई 2014 से 79 दिनों की अवधि जब

उच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2014 की अधिसूचना के संचालन पर 13 अगस्त की नई अधिसूचना तक रोक लगा दी थी 2014 जारी किया गया था बाहर किया जाना चाहिए।

(v)

यह पुरस्कार कथित तौर पर 30 अक्टूबर 2014 को दिया गया था।

20 तारीख को या उससे पहले विधिवत किया गया कोई भी मामला

मार्च 2015। अतः संबंधित पुरस्कार वैध है।

(vi) महाराष्ट्र राज्य में जांच कर सकता है।

विषय पुरस्कार के हेरफेर और पिछली तारीख के संबंध में आरोप का संदर्भ और ऐसी उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई करना जो आवश्यक हो और यह सुनिश्चित करने के लिए कि

भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी।

41. अधिनिर्णय को रद्द करने और अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करने वाले विवादित फैसले को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। यह है।

कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई थी और पुरस्कार है

और वैध। अपीलों की अनुमति उपरोक्त शर्तों में लागत के बिना दी जाती है।

अपीलों की

अनुमति दी गई।

जैन